सरूप सिंह @राम सरूप

बनाम

एच. डी. एफ. सी. सामान्य बीमा कंपनी

लिमिटेड. और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं. 2022 का 7283-7284) अक्टूबर 17,2022।

/

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** न्यायाधीशगण **]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:क्षतिपूर्ति-घातक दुर्घटना-न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय Rs.10,000 प्रति माह पर विचार किया और 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 20.64 लाख-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर रु। प्रति माह Rs.6500 की अनुमानित आय पर विचार करते हुए-उच्च न्यायालय ने भी ब्याज की दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया-मुआवजे में कमी के खिलाफ दावेदारों द्वारा अपील-आयोजितःउच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को निचले पक्ष में कहा जा सकता है-निर्भरता के नुकसान का निर्णय देते समय, उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया-प्रणय सेठी और अन्य के मामले में निर्णय पर विचार करते हुए. और जनाबाई के मामले में निर्णय, दावेदार भी रुपये का हकदार होगा। 40, 000/- नाबालिग बच्चे के लिए माता-पिता के संघ के लिए। रु. 40, 000/- पत्नी के लिए पति-पत्नी संघ के लिए और रु। 40, 000/- मृतक के पिता के लिए फाइलियल कंसोर्टियम के लिए-उच्च न्यायालय ने भी ब्याज को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष करने में गलती की-इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की मृत्यु वर्ष 2012 में हुई थी, दावेदार 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

/

/

/

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया :उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को निचली तरफ कहा जा सकता है। निर्भरता के नुकसान का निर्णय देते समय, उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है।राष्ट्रीय मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य

/

भविष्य की संभावनाओं की दिशा में **40** प्रतिशत वृद्धि।इसलिए, भले ही अनुमानित आय पर विचार किया जाए। **6, 500/-** प्रति माह जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है और भविष्य की संभावनाओं के लिए **40** प्रतिशत जोड़कर और मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए एक तिहाई की कटौती करके और **17** के गुणक को लागू करके, दावेदार

/

1008 ए.

1009

सरूप सिंह @राम सरूप बनाम एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

रुपये का हकदार होना। **12,37,790-**निर्भरता के शीर्ष नुकसान के अंतर्गत ।प्रणय सेठी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले और जनाबाई के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर विचार करते हुए

और ओआरएस। बनाम। **I.C.I.C.I.** लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

दावेदार भी रुपये का हकदार होगा। **40, 000/-** नाबालिग बच्चे के लिए माता-पिता के संघ के लिए; रु। **40, 000/-** पत्नी के लिए पति-पत्नी संघ के लिए और रु। **40, 000/-** मृतक के पिता के लिए फिलियल कंसोर्टियम के लिए।इस प्रकार, दावेदार रुपये के हकदार होंगे। **1,20,000-**संघ के प्रमुख नुकसान के अंतर्गत ।दावेदार भी एक लाख रुपये के हकदार होंगे। **30, 000/-** पारंपरिक शीर्ष **(**अंतिम संस्कार खर्च और संपत्ति का नुकसान**)** के अंतर्गत ।उच्च न्यायालय ने भी ब्याज को **9** प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर **6** प्रतिशत प्रति वर्ष करने में गलती की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की मृत्यु वर्ष **2012** में हुई थी, दावेदार **7.5** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे। **[**पैरा **4] [1010-**एफ-एच; **1011-**ए-सी**]**

/

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

और ओआरएस। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एससीआर 100;

/

जनाबाई और ओआरएस. वी.I.C.I.C.I. लोम्बार्ड जनरल

बीमा कंपनी लिमिटेड 2022 एसीजे 2003-पर भरोसा किया।संदर्भित निर्णय

[2017] 13 एससीआर **100**

पर विश्वास किया

पैरा **4**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 7283-7284।

2017 के क्रॉस ऑब्जेक्शन नंबर 209-सी-II और 2015 के एफ. ए. ओ. नंबर 246 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेशों से।

/

अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, सुश्री सान्या कौशल, सिद्धांत सरोहा, तुषार बाथिजा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुकांत विक्रम, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि को एक लाख रुपये से घटाकर पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 20,64,000-जैसा कि विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा Rs.11,34,136/- को दिया गया है।

/

/

मूल दावेदारों ने 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 28 वर्ष थी।मूल दावेदार-मृतक की पत्नी, नाबालिग बेटी, मृतक के पिता और बहन ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की।विद्वत न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय को रु। 10, 000/- प्रति माह और उसके बाद भविष्य की संभावना के लिए 30 प्रतिशत जोड़कर और उसके बाद मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए एक चौथाई की कटौती करके, रु। 19,89,000-निर्भरता के शीर्ष नुकसान के अंतर्गत । विद्वान न्यायाधिकरण ने भी एक करोड़ रुपये का फैसला सुनाया। 25, 000/- संघ के नुकसान या प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए और रु। 50, 000/- पारंपरिक शीर्ष के अंतर्गत (अंतिम संस्कार का खर्च और संपत्ति का नुकसान)।इस प्रकार, विद्वत न्यायाधिकरण ने मृतक की मृत्यु के मुआवजे के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल 64,000/- रुपये की राशि का आदेश दिया।3. बीमा कंपनी द्वारा दायर एक अपील में, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को घटाकर एक लाख रुपये कर दिया है। 11,34,136-रुपये की अनुमानित आय पर विचार करके। 6, 500/- प्रति माह और उसके बाद मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए एक तिहाई की कटौती और रु। 8,84,136-निर्भरता के शीर्ष नुकसान के अंतर्गत ।उच्च न्यायालय ने भी एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश दिया है। 1,00,000-संघ के नुकसान के लिए और रु। 1,00,000-बच्चे के लिए प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए और रु। संपत्ति के नुकसान के लिए 50,000/-।हालांकि, उच्च न्यायालय ने भी ब्याज की दर को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

/

/

/

/

4. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को निचले पक्ष में कहा जा सकता है।निर्भरता के नुकसान का निर्णय देते समय, उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है।इस न्यायालय के फैसले के अनुसार

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680 के मामले में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

/

भविष्य की संभावनाएँ।इसलिए, भले ही हम रुपये की अनुमानित आय पर विचार करें। 6, 500/- प्रति माह जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत जोड़कर और मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए एक तिहाई की कटौती करके और 17 के गुणक को लागू करके, दावेदार ए होगा

/

1011

सरूप सिंह @राम सरूप बनाम एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

रुपये का अधिकार। **12,37,790-**निर्भरता के शीर्ष नुकसान के अंतर्गत ।प्रणय सेठी और अन्य **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और जनाबाई और अन्य के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय पर विचार करते हुए।

बनाम। **I.C.I.C.I.** लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**, 2022**

ए. सी. जे. 2003, दावेदार भी रुपये का हकदार होगा। 40, 000/- नाबालिग बच्चे के लिए माता-पिता के संघ के लिए; रु। 40, 000/- पत्नी के लिए पति-पत्नी संघ के लिए और रु। 40, 000/- मृतक के पिता के लिए फिलियल कंसोर्टियम के लिए।इस प्रकार, दावेदार रुपये के हकदार होंगे। 1,20,000-संघ के प्रमुख नुकसान के अंतर्गत ।दावेदार भी एक लाख रुपये के हकदार होंगे। 30, 000/- पारंपरिक शीर्ष (अंतिम संस्कार खर्च और संपत्ति का नुकसान) के अंतर्गत ।उच्च न्यायालय ने भी ब्याज को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष करने में गलती की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की मृत्यु वर्ष 2012 में हुई थी, दावेदार 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे। इस प्रकार, दावेदार रुपये के हकदार होंगे। 13,87,790-7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।

/

/

5. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों को आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को संशोधित किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि

अपीलार्थी कुल रु। 13,78,790-दावा याचिका दायर करने की तारीख से मृतक की मृत्यु के मुआवजे की प्राप्ति तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।

/

वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

अपीलों की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/

/

/